दिनांक 02.04.16 को 11.00 बजे पूर्वाहन में उपायुक्त गुमला की अध्यक्षता में भूमि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा– 45 के आलोक में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति विवरणी

1. उपायुक्त, गुमला।
2. अपर समाहर्त्ता, गुमला।
3. श्री सतीश प्रसाद माननीय विधायक विशुनपुर के नामित सदस्य।
4. श्रीमती किरण बाड़ा अध्यक्ष जिला परिषद,गुमला।
5. श्रीमती मोसर्रत प्रवीण अध्यक्ष नगर पंचायत, गुमला।
6. श्री सुबोध कुमार लाल, जिला परिषद सदस्य, गुमला।
7. श्रीमती हीरा देवी मुखिया अरमई, पंचायत, ।
8. श्रीमती प्रशांता खलखो जिला परिषद सदस्य, चैनपुर
9. श्री जगजीवन नायक, सदस्य।
10 एन0 जी0 ओ0 प्रदान के सदस्य।
11. कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुमला।
12. समादेष्टा आई0 आर0 बी0 बटालियन– 05 सह पुलिस अधीक्षक, गुमला।
13. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला।

सर्वप्रथम उपायुक्त, गुमला द्वारा स्वागत कर बैठक की कार्रवाही प्रारम्भ की गई ततपश्चात् जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम के तहत गुमला जिला में चल रहे योजनाओं की जानकारी दी गई।

मृतक पंचाटी के उत्तराधिकारियों को भू–अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा के भुगतानार्थ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 179 दिनांक 11.03.2016 में उल्लेखित प्रावधानों की जानकारी दी गई।

उपस्थित सदस्यों को यह जानकारी दी गई कि अगर पंचाटी द्वारा मुआवजा राशि लेने से इंकार किया जाता है तो उक्त राशि को भू–अर्जन न्यायालय में जमा कर दिया जायेगा।

इस संदर्भ में यह जानकारी दी गई कि नई पुलिस लाईन चन्दाली, गुमला में परेड मैदान, क्रीड़ा मैदान एवं पुलिस बैरक निर्माण के अधिग्रहण हेतु पंचाट की राशि रूपया 4,89,178.00 (चार लाख नवासी हजार एक सौ अटठहत्तर) रूपया भू–अर्जन न्यायालय में जमा कर दी गई है।

बकास्त भूईहरी भूमि के संबंध में जिला भू–अर्जन पदधिकारी द्वारा बताया गया कि भू–अर्जन कार्यालय के पत्रांक 172/भू0अ0 दिनांक 19.10.15 एवं पत्रांक 12/भू0अ0 दिनांक 30.01.2016 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची से मुआवजा भुगतान हेतु मार्ग दर्शन की मांग की गई है। मार्ग दर्शन प्राप्त होते ही मुआवजा भुगतान कर दी जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त
गुमला।